न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 328/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/533

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थी
शान्तिदेवी पत्नी किशनालाल जाति विश्नोई निवासी हिमताणी भांभूओं की ढाणी,कुड़ी तहसील कल्याणपुर		1.गवरीदेवी पत्नी हरमलराम 2.पवनकुमार पुत्र जगमालराम 3.भंवरलाल पुत्र हरमलराम 4.रामलाल पुत्र कोला 5.वरजूदेवी पत्नी जगमालराम 6.सुरेशकुमार पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 7.सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ी 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>उपस्थिति—</u>

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीनी
2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 3 से 5
3. विप्रार्थी संख्या 2 व 6 से 8 एकपक्षीय

<u>आदेश</u>

दिनांक—30.01.2025

1.संक्षेप में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की ओर से मूलवाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 15 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 11.5416 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी के प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 रिकार्डेड सहखातेदार है। जिसमें सह खातेदारान के हिस्से भी खुले हुए है,लेकिन संयुक्त सहखातेदारी होने के कारण प्रार्थीनी की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थीगण आए दिन दखलदान्जी करते रहते है तथा विवादित आराजी को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीनी की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2023 के द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थीनी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरीए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 व 3 से 5 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 व 6 से 8 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी ने विप्रार्थी के विरूद्व दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीनी को सफल होने की पूरी संभावना है। ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की सरहद में आई खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 15 क्षैत्रफल 0.0971 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा व खेत खसरा संख्या 16 क्षैत्रफल 11.5416 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी का 9507/28520 हिस्सा है तथा शेष विप्रार्थीगण का हिस्सा है। प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण का उपरिवक्तानुसार मौके पर कब्जा काश्त भी पृथक–पृथक है,किन्तु राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती दर्ज है। पक्षकारान के मध्य उक्त कृषि भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होकर रेकर्ड में पृथक–पृथक इन्द्राज नहीं होने से बरसात के समय काश्त करने में असुविधा रहती हैं,प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा नहीं होने से काश्त बोने के समय मनमुटाव की संभावना बनी रहती हैं,तथा भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु खाद देने, ऋण प्राप्त करने में भी प्रार्थीनी कठिनाई अनुभव कर रही हैं। प्रार्थीनी द्वारा कई बार विप्रार्थीगण को आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कर खाते पृथक–पृथक करवाने का आग्रह किया तो विप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने से एवं सभी एक साथ तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असमर्थ होने से प्रार्थीनी को काश्त के समय सदैव आपसी हिस्से अनुसार काश्त करने में अन्य खातेदारान से मनमुटाव व विवाद की संभावना बनी रहती है। प्रार्थीनी ने विप्रार्थीगण को आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा कर खाते पृथक–पृथक करवाने का आग्रह किया तो विप्रार्थीगण इस हेतु आश्वासन देते रहे,किन्तु हाल ही में दिनांक 01.11.2023 को विप्रार्थीगण एक साथ उपस्थित होकर तहसीलदार कल्याणपुर के समक्ष बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया गया तथा मौके पर प्रार्थीनी के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं एवं जबरन उक्त भूमि का बिना विभाजन करवाये ही प्रार्थीनी के कब्जा काश्त की भूमि से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीनी को बैदखल करने पर आमदा है तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.12.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 व 3 से 5 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीनी ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है, क्योकि प्रार्थीनी का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है। प्रार्थीनी ने गलत तौर से अपना नाम रेकर्ड में बिना कब्जे का दर्ज करवाया हैं। प्रार्थीनी का कभी भी कोई कब्जा न तो कभी रहा हैं और न हैं। प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा ही नहीं है,तो पृथक–पृथक काश्त करने या कब्जा होने के कथन गलत हैं, प्रार्थीनी को असुविधा होने का कथन गलत हैं। प्रार्थीनी ने भूमि खसरा संख्या 15 व 16 की परिधि में पैर तक नहीं रखा। प्रार्थीनी का यह कथन भी गलत है कि विप्रार्थीगण का प्रार्थीनी से मिलने का काम पड़ा हो और सहमति से बंटवाड़ा करने की कोई बात ही आयी हो,प्रार्थीनी का न तो कोई कब्जा रहा और न हैं न प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र से संबंधित मूलवाद में कब्जा प्राप्ती का कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। इस कारण मूलवाद ही पोषणीय नहीं है,तो उस पर आधारित विविध प्रकरण किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण से संबंधित मूलवाद ही विधि द्वारा वर्जित हैं,क्योंकि वर्तमान विविध प्रकरण व मूल प्रकरण में बतौर पक्षकार संख्या 07 सरपंच को पक्षकार बनाया हैं,जबकि सरपंच के विरूद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व विधिक आज्ञापक प्रावधान का नोटिस जारी नहीं किया हैं,इस कारण मूलवाद ही पोषणीय नहीं है,तो उस पर आधारित विविध प्रकरण किसी भी रूप से पोषणीय नहीं हैं। मौके पर विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी,कब्जा, स्वमित्व,मालिकाना की परिधि में पुराने बने रहवासीय ठाव जो काफी पुराने हो जाने से जर्जर हो गये थे,को हटाकर उसी स्थान पर नया निर्माण मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में करवाया जा रहा हैं,जिसे वर्तमान प्रकरण में अंतरित अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीनी व उसके पति द्वारा बाधित किया जा रहा हैं,इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र दुराशय की बदनियती से पेश किया हैं,जो खारिज होने योग्य है,क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने वाले पक्षकार को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से प्रकरण पेश करना न्यायहित में आवश्यक हैं,जबकि प्रार्थीनी व उसके पति द्वारा वर्तमान प्रकरण मैल फाईड इंटेनशन से पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य हैं। अतं में निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थीनी को अपने हक पक्ष में साबित करना आवश्यक हैं,लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीनी अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु साबित करनें में सफल नहीं हुई हैं,इसलिए प्रार्थीनी कोई साम्यापुर्ण अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीनी को बैदखल करने पर आमदा है तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.12.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 व 3 से 5 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीनी ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है, क्योकि प्रार्थीनी का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है। प्रार्थीनी ने गलत तौर से अपना नाम रेकर्ड में बिना कब्जे का दर्ज करवाया हैं। प्रार्थीनी का कभी भी कोई कब्जा न तो कभी रहा हैं और न हैं। प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा ही नहीं है,तो पृथक–पृथक काश्त करने या कब्जा होने के कथन गलत हैं, प्रार्थीनी को असुविधा होने का कथन गलत हैं। प्रार्थीनी ने भूमि खसरा संख्या 15 व 16 की परिधि में पैर तक नहीं रखा। प्रार्थीनी का यह कथन भी गलत है कि विप्रार्थीगण का प्रार्थीनी से मिलने का काम पड़ा हो और सहमति से बंटवाड़ा करने की कोई बात ही आयी हो,प्रार्थीनी का न तो कोई कब्जा रहा और न हैं न प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र से संबंधित मूलवाद में कब्जा प्राप्ती का कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। इस कारण मूलवाद ही पोषणीय नहीं है,तो उस पर आधारित विविध प्रकरण किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण से संबंधित मूलवाद ही विधि द्वारा वर्जित हैं,क्योंकि वर्तमान विविध प्रकरण व मूल प्रकरण में बतौर पक्षकार संख्या 07 सरपंच को पक्षकार बनाया हैं,जबकि सरपंच के विरूद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व विधिक आज्ञापक प्रावधान का नोटिस जारी नहीं किया हैं,इस कारण मूलवाद ही पोषणीय नहीं है,तो उस पर आधारित विविध प्रकरण किसी भी रूप से पोषणीय नहीं हैं। मौके पर विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी,कब्जा, स्वमित्व,मालिकाना की परिधि में पुराने बने रहवासीय ठाव जो काफी पुराने हो जाने से जर्जर हो गये थे,को हटाकर उसी स्थान पर नया निर्माण मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में करवाया जा रहा हैं,जिसे वर्तमान प्रकरण में अंतरित अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीनी व उसके पति द्वारा बाधित किया जा रहा हैं,इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र दुराशय की बदनियती से पेश किया हैं,जो खारिज होने योग्य है,क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने वाले पक्षकार को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से प्रकरण पेश करना न्यायहित में आवश्यक हैं,जबकि प्रार्थीनी व उसके पति द्वारा वर्तमान प्रकरण मैल फाईड इंटेनशन से पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य हैं। अतं में निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों विन्दु प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थीनी को अपने हक पक्ष में सावित करना आवश्यक हैं,लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीनी अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु सावित करनें में सफल नहीं हुई हैं,इसलिए प्रार्थीनी कोई साम्यापुर्ण अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 15 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 11.5416 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीनी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 15 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टयर व खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 11.5416 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त सह–खातेदारी में दर्ज है। जिसमें सह खातेदारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से भी खुले हुए है। प्रार्थीनी की ओर से मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी वांछित अनुतोष मुताबिक बंटवाड़ा करवाने की हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी स्थगन आदेश को जारी रखवाने की हकदार नहीं है,क्योकि प्रार्थीनी का मूलवाद बंटवाड़ा का है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह–खातेदार है। विवादित आराजी में सह–खातेदार के हिस्से भी खुले हुए है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सह–खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है,क्योकि सहखातेदार अपनी कब्जाशुदा भूमि में रहवासी ढाणी अथवा मकान इत्यादि के रखरखाब करवाने का हकदार होता है। जैसा कि आर.आर.टी. 1969 पृष्ठ 373 एवं आर.आर.टी. 1978 पृष्ठ 638 में भी प्रतिपादित हैः–कि सहकृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती हैं एवं आर.आर.टी. 1981 पृष्ठ 295 में प्रतिपादित हैः–कि जहां भूमि संयुक्त खातेदारी की हैं,वहां सहभागी द्वारा कीया गया हस्तान्तरण के संबध में केता के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। खातेदारान को स्थगन आदेश से पांबद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराधात होगा। इस प्रकार विप्रार्थी पक्ष को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराधात हुआ है। विवादित भूमि के संबध में जारी स्थगन आदेश को आगे ओर जारी रखा जाना विधि में निहित प्रावधानों के विपरीत होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योकि प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बनता हो। ऐसी सूरत में प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीनी के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्राथीर्नी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड सह–खातेदार है और रिकार्डेड सह–खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वंतत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

है,क्योंकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है,कि मामला स्थगन आदेश का बनता है अथवा नहीं,जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखनें का मामला बनता नहीं हैं। इस संबध में आर.आर.टी.1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिपादित हैः–कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है,जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है,क्योंकि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता हीं नहीं हैं। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है।

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को हो रही है। इस प्रकार विप्रार्थी जो विवादित भूमि के रिकार्डेड सह–खातेदार है और उन्हें स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत है और हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवानें के कारण अपूरणीय क्षति विप्रार्थी को हो रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी स्थगन आदेश जारी रखवानें की हकदार नहीं है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थीनी के. पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.12.2023 निरस्त योग्य होने एवं मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

:आदेशः

8.उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन व सारवान तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.12.2023 को अपास्त किया जाकर,प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.01.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 30.1.2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा